न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी–डॉ0 सौम्या झा

आई0ए0एस0

प्रा0 पत्र सं0 04/2024 अंतर्गत14 (4) आवंटन नियम 1970

सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा जिला दौसा

..प्रार्थी

बनाम

मांग्या पुत्र हरिनारायण मीना निवासी हाज्या का बास तहसील दौसा जिला दौसा

..अप्रार्थी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 (4) भू–आवण्टन नियम–1970

उपस्थित–1. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय दिनांकः 26.05.2026

1. संक्षिप्त वृतांत प्रा0 पत्र 14 (4) इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 30.6. 1989 को ग्राम हाज्या का बास तहसील दौसा के ख0नं0 85 रकबा 0.46 है. भूमि का आवंटन जो कि अप्रार्थी माग्या पुत्र हरिनारायण मीना को किया गया था, को निरस्त करने हेतु तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा के द्वारा यह प्रार्थना पत्र 14(4) भू–आवण्टन नियम–1970 के तहत इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रा0 पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया।

3. राजकीय अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 30.6.1989 को अप्रार्थी मांग्या पुत्र हरिनारायण जाति मीना निवासी हाज्या का बास तहसील व जिला दौसा को ग्राम हाज्या का बास के आराजी खसरा नंबर 85 में से 0.46है. भूमि का आवंटन किया गया था। भूमि आवंटन होने पर नामान्तरण सं0 20 दिनांक दिनांक 05.09.1990 को गैर खातेदारी दर्ज हुई। किंतु आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर आवंटन की शर्तो की पालना नहीं की गई। मौके पर भूमि खाली (पडत) पडी हुई हैं। भूमि आज तक भी गैर खातेदारी दर्ज है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी/भू अभिलेख निरीक्षक के आवंटी/गैर खातेदार ने उक्त आवंटित की गई भूमि पर कब्जा काश्त नहीं की जाकर भूमि उपयोग में नहीं ली गई है। अतः आवंटन की शर्तो की पालना नहीं होने के कारण आवंटन निरस्त योग्य है। अतः आवंटी को किया गया आवंटन निरस्त फरमावें।

4. अप्रार्थी न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ किन्तु अप्रार्थी के द्वारा अपने समर्थन में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।
5. हमने राजकीय अधिवक्ता की एकतरफा बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
6. धारा 14(4) भू आवंटन नियम 1970 इस प्रकार हैः–

The Collector shall have the power to cancel any allotment made by a Sub-Divisional Office either suo-moto or on the application of any person in case the allotment has been secured through fraud or misrepresentation or has been made against rules or in case the allottee has committed breach of any of the conditions of allotment:

जिला कलेक्टर,दौसा

Provided that no such order to the prejudice of any person shall be passed without giving such person an opportunity of being heard.

7. राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 की धारा 14 में आवंटन की शर्तो का उल्लेख किया गया जिसमें आवंटी को भूमि के क्षेत्र में काश्त करने, अच्छी तरह से उपयोग करने हेतु पाबंद किया गया है, आवंटन नियम 14(2) के अनुसार देय स्वीकृत लगान की दर से वार्षिक लगान की शर्त एवं भूमि को 3 वर्ष में काबिल काश्त बनाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

8. प्रश्नगत प्रार्थना पत्र में यह ज्ञात होता है कि आवंटन सलाहकार समिति कैंप दौसा द्वारा अप्रार्थी मांग्या पुत्र हरिनारायण जाति मीना निवासी हाज्या का बास को ग्राम हाज्या का बास तहसील व जिला दौसा आराजी खसरा नंबर 85 रकबा 0.46है0 भूमि का दिनांक 30.06.1989 को आवंटन किया गया था। भूमि आवंटन होने पर नामान्तरण सं0 20 दिनांक 05.09.1990 को गैर खातेदारी दर्ज हुई। किंतु आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई। मौके पर भूमि खाली (पडत) पडी हुई हैं। भूमि आज तक भी गैर खातेदारी दर्ज है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी/भू अभिलेख निरीक्षक के आवंटी/गैर खातेदार ने उक्त आवंटित की गई भूमि पर कब्जा काश्त नहीं की जाकर भूमि उपयोग में नहीं ली गई है। पत्रावली में संलग्न नकल खसरा गिरदावरी संवत 2077 से 2080 के अवलोकन से भी यह सिद्ध होता है कि भूमि संवत 2080 फसल खरीफ में बाजरा की फसल को छोडकर भूमि पडत पडी हुई है। ऐसी स्थिति आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 30.06.1989 को अप्रार्थी मांग्या पुत्र हरिनारायण मीना को आवंटित की गई भूमि पर आवंटन शर्तों की पालना नही करने से उक्त आवंटन खारिज किया जाना हम उचित समझते है।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी तहसीलदार, (भूमिधारी) दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाता है। आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 30.06.1989 के द्वारा ग्राम हाज्या का बास में आवंटी मांग्या पुत्र हरिनारायण मीना के पक्ष में किया गया खसरा नंबर 85 रकबा 0.46 है. का आवंटन आदेश खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा को प्रेषित की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(डॉ0 सौम्या झा)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 26 मई, 2026 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

(डॉ0 सौम्या झा)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official